

संक्षिप्त समाचार

दूसरा भाई होता तो उसे भी आर्मी में भेज देती

असम एएन-32 हादसे के शहीद प्रशांत सिंह की बहन का जज्बा

देहरादून (एजेंसी)। असम के जोरहाट में एयरफोर्स का एएन-32 विमान क्रैश हादसे में देहरादून के प्रशांत सिंह शहीद हो गए हैं। हादसे में शहीद हुए स्ववाइन लीडर प्रशांत सिंह तोमर की बहन निवेदिता सिंह का कहना है कि इस हादसे के बाद हमारी



जिंदगी में एक ऐसी कमी आ गई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरा दूसरा भाई भी होता तो उसे भी सेना ज्वाइन करने की सलाह देती। निवेदिता ने कहा कि भले ही यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिर भी, मैं युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने हमें बहुत गर्व महसूस कराया है।

खान सर ने कराई है मेरे भाई प्रिंस यादव की हत्या

जेल से निकलते ही रौशन आनंद का बड़ा दावा

पटना (एजेंसी)। बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर में मारपीट फायरिंग के केस में नया मोड़ आया है। इस मामले में गिरफ्तार ज्ञान



बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद सर बेरुार जेल से बेल मिलने के बाद बाहर निकले। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने एक नया नाम लिया है। खान सर उर्फ फैजल खान के अलावा वो नाम है किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक का। रौशन आनंद ने जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया के सामने दावा किया है कि खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले जीनानी कम्पनी के पदाधिकारी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सोमवार को मंत्रालय में बंगलुरु बेस्ड जीनानी डॉट एआई कम्पनी के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। कम्पनी पदाधिकारियों ने मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र (आईटी सेक्टर)



में निवेश करने की मंशा व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कम्पनी पदाधिकारियों से कहा कि निवेश के संदर्भ में ठोस परियोजना प्रस्ताव और स्पष्ट रोडमैप लेकर आएँ, सरकार कम्पनी की सभी प्रकार की मदद करेगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग श्री एम सेलवेन्द्रम, जीनानी डॉट एआई कम्पनी के सह-संस्थापक एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी श्री अनंत नागाराज, कम्पनी के हेड ऑफ़ एआई ट्रांसफार्मेशन (पब्लिक सेक्टर) कर्नल आदिश वाबुमकर (रिटायर्ड) भी उपस्थित थे।

सीबीआई से जांच कराने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे में मिली कथित गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका



दायर की गई है। इस याचिका में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित हेराफेरी की जांच करने की मांग की गई है। याचिका में एडवोकेट अनूप प्रकाश अवस्थी ने सुप्रीम

गायब हो गए बदरा, सैटेलाइट तस्वीरों में भी नहीं आ रहे नजर

● एमपी-राजस्थान समेत 16 राज्यों में बारिश का इंतजार और बढ़ा ● 4 से 15 जून के बीच 64 फीसदी कम हुई बरसात, संकट बढ़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से मानसूनी बादल गायब दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक, 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 मिमी के मुकाबले सिर्फ 19.2 मिमी बारिश हुई। यानी बारिश में 64 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। मानसूनी गतिविधियाँ कमजोर होने से 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। मानसून दक्षिण भारत से आगे बढ़ने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास ठहर गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के बाद यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रुक गया है।



सभी समाजों को, उनकी परम्पराओं को जोड़ें, आल्हा-ऊदल स्मृति उत्सव और श्रावण महोत्सव भी मनावें : मुख्यमंत्री

संस्कृति विभाग की करें पुनर्संरचना, गतिविधियों का भी करें विस्तार



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी छह-सात माह में बड़े ल्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाये जायेंगे। ये सभी ल्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता के प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को, उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परम्पराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करें। आल्हा-ऊदल वीर रस गायन के प्रतीक हैं, उनकी स्मृति में आयोजन किए जाएँ। श्रावण महोत्सव और भुजरिया पर्व भी मनाएँ। नागपंचमी पर जैव विविधता संरक्षण (सर्प प्रजातियों के संरक्षण) का संदेश दिया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्कृति विभाग लोगों को जोड़कर ऐसे आयोजन करें, जिनसे हमारी

कला और संस्कृति के संवर्धन के साथ ही सरकार के संदेश का भी प्रसार हो। मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की कला, संस्कृति, परम्पराएं और समृद्ध पुरातात्त्विक धरोहरें प्रदेश की अमूल्य पूंजी हैं, जिन्हें संरक्षित और संवर्धित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध और प्रभावी प्रयास किए जाएँ। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए हमारी सरकार हर

जरूरी प्रयास कर रही है। हम समाज को साथ लेकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बैठक में संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृति विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किये गये 'कला पंचांग' का विमोचन भी किया। इसमें विभाग द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कलात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पूरा कैलेंडर तैयार किया गया है। अब इन्हें सिलसिलेवार क्रियान्वित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का दायरा और तेजी से बढ़ेगा। विभागीय आंतरिक विशेषताओं और विशेषज्ञताओं का समुचित संयोजन करते हुए संस्कृति विभाग की और बेहतर पुनर्संरचना की जाये।

विभागीय गतिविधियों का आधुनिक संदर्भों में विस्तार भी किया जाये। उन्होंने कहा कि संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग सभी मिलकर काम करें, ताकि प्रदेश में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। इससे प्रदेश में उत्कृष्ट कारीगरी से निर्मित होने वाले क्राफ्ट आइटम्स, हैंडलूम आइटम्स और कशीदाकारी को भी पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट वीर विक्रमादित्य के नाम से एक पृथक अकादमी का गठन किया जाये। इसमें विक्रमादित्य के जीवनवृत्त पर समग्र शोध एवं अन्य संगत गतिविधियाँ भी संचालित की जायें।

टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय

● 3 साल पहले पति-पत्नी ने यह पार्टी बनाई थी; नारा था-दलबदलू नेताओं को नकारो



गेट पर उत्तिया ने खुद को बंगाली न्यूजपेपर का एडिटर और टीचर बताया है। वहीं उनकी पत्नी शेउली को कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील बताया गया है।

त्रिपुरा चुनाव के बाद गायब हो गई थी पार्टी- न्यूज एजेंसी के अनुसार,

एनसीपीआई ने 2023 में त्रिपुरा के चावामानु से बरजेडा त्रिपुरा को उम्मीदवार बनाया था। बरजेडा को 536 वोट मिले थे। टीएमसी के बागी सांसदों के साथ विलय की बात सुनकर वे हैरान रह गए। बरजेडा ने बताया कि वे दिहाड़ी मजदूर हैं। चुनाव के बाद उनका पार्टी

से संपर्क खत्म हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा के कैलाशहर से एनसीपीआई उम्मीदवार रहे जहांगीर अली ने बताया कि 2023 चुनाव के दौरान शेउली कुंडू कोलकाता से आई थीं और उम्मीदवारों से संपर्क किया था। चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी ने गतिविधियाँ बंद कर दीं और संपर्क भी टूट गया। टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने रविवार को त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में विलय की घोषणा की। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बागी सांसद काकोली घोष ने जानकारी दी।

जांचमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी: मिश्रा

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सोमवार को कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की दान राशि में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी के द्वारा कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मिश्रा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट जांच में पूरा सहयोग करेगा और एसआईटी को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने रविवार को जिला प्रशासन से भी बातचीत की थी और प्रशासन ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इन आरोपों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी।

केरल में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना शुरू

● सांसद केसी वेणुगोपाल ने की यूडीएफ सरकार की तारीफ



तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल के मुख्यमंत्री वीडो सतीशन ने सोमवार को महिलाओं के लिए राज्य की मुफ्त बस यात्रा योजना का उद्घाटन किया। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ घोषणापत्र का एक अहम वादा था।

थम्पानूर सेंट्रल बस टर्मिनल पर हुए लॉन्च इवेंट में भारी भीड़ जुटी। इसमें सीनियर मंत्री, बड़े अधिकारी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लीडर शामिल हुए। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पत्र सभालने के एक महीने के भीतर ही यूडीएफ ने अपनी पहली ईदिरा गारटी लागू कर दी है। बहुप्रतीक्षित प्रियदर्शिनी फ्री बस स्कीम अब लागू हो गई है। पूरे केरल में महिलाएं बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी और हर महीने हजारों रुपये बचा सकेंगी। हम जन-कल्याण में विश्वास रखते हैं और हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं, चाहे वह कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या अब केरल। फ्री बस योजना चालू है।

संपादकीय

पाक नहीं कतर !

यह बात उजागर हो गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित समझौते में असल भूमिका कतर की रही है, न कि पाकिस्तान की। जबकि इस मामले में आधिकारिक मध्यस्थ की भूमिका अब तक पाकिस्तान निभा रहा था। ऐसे में दो सवाल उठ रहे हैं, पहला तो यह कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को इस पूरे प्रकरण में धमी की तरह इस्तेमाल किया और दूसरा यह कि इस समूचे मामले में भारत को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। कतर की पंदे के पीछे की अहम भूमिका को बल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि कतर तारीफ का हकदार है और उसे इसका श्रेय मिलाना चाहिए। इस समझौते में कतर ने हमारी बहुत मदद की। हमें यह समझना होगा कि कतर किसी भी दूसरे देश, यहां तक कि यूएई से भी ज्यादा हर चीज के केंद्र में है। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बात की पुष्टि की। ट्रंप ने घोषणा की कि इस शुक्रवार को ईरान के साथ किए गये एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में बीते 100 दिन से चल रहे युद्ध के बाद स्थायी संघर्ष विराम की उम्मीदे बढ गई हैं। उधर तेहरान ने भी इस घोषणा की पुष्टि करते हुए कहा है कि युद्ध जो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के बाद शुरू हुआ था उसे सोमवार सुबह से खत्म कर दिया जाएगा।

वैसे खाड़ी देश कतर पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। लेकिन बातचीत के दूसरे दौर के बीच ही ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ऐसे में परस्पर विश्वास कितना कायम रहता है, यह देखने की बात है। वैसे समझौते की खास बात यह भी है कि आगे दोनों देशों के बीच बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगी, न कि पाकिस्तान में। ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काजेम गुरीबाबादी ने पुष्टि की कि सैन्य अभियानों के जल्द खत्म होने की उम्मीद है।

गुरीबाबादी ने कहा कि सोमवार से लेबनान सहित विभिन्न मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा की जाएगी। अंतिम समझौते पर बातचीत 60 दिनों की अवधि के दौरान होगी जो

इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान यह पुष्टि करे कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे कर लिए हैं। इन वादों में अनुमानो खत्म करना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और ईरान की फौज की गई संपत्ति को जारी करना शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में दम नहीं था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा सके। लिहाजा यह काम कतर को संभालना पड़ा।

यह बात अलग है कि अमेरिका ईरान विवाद के बीच पाक के कर्णधारों ने अपने मतलब साध लिए। यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिकी राष्ट्रपति के वो खास हैं। जबकि दूसरी तरफ पाक अधिकृत करमीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन दुनिया के अधिकांश देश वहां हो रहे मानवधिकार उल्लंघन पर खामोश हैं। जानकारों का कहना है कि भारत को अब अपनी पश्चिम एशिया नीति पर बदले हालात में पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि हाल के समय जो घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले पर चुप्पी बनाए रखना, ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर चार दिनों के बाद चुप्पी तोड़ना या फिर कई एएसएसएस ने मध्यस्थता की कोशिश से भी दूर रहना और भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमलों में तीन नाविकों की मौत के मामले में भी सख्त खैया न अपनाने पर कई सवाल उठ रहे हैं।

सामयिक	
	
मनीषा मंजरी	
लेखक साहित्यकार हैं।	

सुबह की पहली किरण जब खिड़की पर दस्तक देती है, तो दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, कोई किसान अपनी खेत की मेड़ों पर मौसम का अनुमान लगा रहा होता है और कोई माँ अपने परिवार के लिए दिन की शुरुआत कर रही होती है। लेकिन उसी समय पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से में सायरनों की आवाज गूँज रही होती है, बमों के धमाकों से घरों की दीवारें काँप रही होती हैं और भय से भरी आँखें यह पूछ रही होती हैं कि आखिर ईंसान ने इतनी प्रगति करके भी शांति को क्यों नहीं चुना।

हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ, मानव सभ्यता अपनी उपलब्धियों के शिखर पर दिखाई देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। लेकिन इसी समय दो ऐसी वास्तविकताएँ हमारे सामने खड़ी हैं जो हमारी संवेदनशीलता, दूरदृष्टि और सामूहिक उत्तरदायित्व की परीक्षा ले रही हैं। युद्ध और जलवायु संकट।

हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता का कारण बना हुआ है। मध्य-पूर्व लंबे समय से संघर्षों का केंद्र रहा है, लेकिन जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक और क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाला राष्ट्र आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं, तो उसका प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। मिसाइलें केवल सैनिक टिकानों को नहीं निशाना बनातीं, उनका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और करोड़ों आम लोगों के जीवन तक पहुँचता है।

युद्ध का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसका निर्णय अक्सर सत्ता के गतिचरारों में लिया जाता है, लेकिन उसकी कीमत वे लोग चुकाते हैं जिन्होंने कभी युद्ध नहीं चाहा। एक सैनिक का

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।
प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोक्लि संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी वरिष्ठ संपादक पंकज शुक्ला प्रबंध संपादक अरुण पटेल (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा) RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923, Ph. No. 0755-2422692, 4059111 Email- subahsaverenews@gmail.com
‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सवालोंने के घरे में चुनावी प्रक्रिया की साख

नजरिया
नृपेन्द्र अभिषेक ‘नृप’ लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक सरकारी भवन में आम लगने से हजारों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के नष्ट होने की घटना ने देश की चुनावी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यद्यपि प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार ये मशीनें मतदान में प्रयुक्त हो चुकी थीं अथवा भंडारण में रखी गई थीं, फिर भी घटना ने राजनीतिक दलों, मतदाताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच अविश्वास की एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश में चुनावी पारदर्शिता, ईवीएम की विश्वसनीयता, मतदाता सूचियों की शुद्धता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे मुद्दे पहले से ही राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया का नाम नहीं है, बल्कि नागरिकों के उस विश्वास का भी नाम है कि उनकी इच्छा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से शासन व्यवस्था तक पहुंचेगी। जब चुनावी संसाधनों की सुरक्षा में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तब यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं रह जाती, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर प्रश्नचिह्न बन जाती है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की संप्रभुता की अभिव्यक्ति हैं। करोड़ों मतदाताओं वाले इस विशाल देश में चुनाव कराना एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसी चुनौती का समाधान खोजते हुए भारत ने ईवीएम को अपनाया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सरल, तेज और निष्पक्ष बनाना था। मतपत्रों के युग में बूथ कैचवर्ग, मतपत्रों की लूट, फर्जी मतदान और मतगणना में लंबा समय जैसी अनेक समस्याएं थीं। ईवीएम ने इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया और चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया। आज भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया के अनेक देशों के लिए अध्ययन और अनुकरण का विषय है। इसके बावजूद ईवीएम को लेकर संदेह और विवाद कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। विभिन्न राजनीतिक दल समय-समय पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते रहे हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि जब कोई दल चुनाव जीतता है तो वह ईवीएम को विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है, जबकि हार की स्थिति में उसी प्रणाली पर प्रश्न खड़े करने लगता है। हालांकि यह भी सच है कि लोकतंत्र में संदेह उठाना किसी भी नागरिक या

राजनीतिक दल का अधिकार है। प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देना संस्थाओं की जिम्मेदारी है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब संदेहों का निराकरण करने के बजाय उन्हें अनदेखा किया जाता है या अस्पष्टता बनी रहती है।

पश्चिम बंगाल में ईवीएम जलने की घटना इसी संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हजारों मशीनें एक ही स्थान पर रखी गई थीं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी? यदि वे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में थीं, तो आग वहां तक कैसे पहुंची? क्या आग केवल दुर्घटना थी या सुरक्षा मानकों में कोई गंभीर चूक हुई? इन प्रश्नों का उत्तर केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि संस्थागत जवाबदेही के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनकी निष्पक्षता से नहीं, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली की पारदर्शिता से भी निर्मित होती है। यहां यह समझना आवश्यक है कि ईवीएम का विवाद केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक भी है। चुनावों में हार-जीत के साथ भावनाएं, अपेक्षाएं और राजनीतिक हित जुड़े होते हैं। यदि मतदाता या राजनीतिक दल यह महसूस करने लगे कि चुनावी प्रक्रिया उनका हित निर्यंत्रण नहीं है या प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, तो लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए चुनाव आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है।

ईवीएम के समर्थन में अनेक तर्क दिए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्तमान ईवीएम इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती, इसलिए दूरस्थ हैकिंग की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इसके अतिरिक्त वीवीपैट प्रणाली लागू होने के बाद मतदाता अपने वोट को पुष्टि भी कर सकता है। विभिन्न चुनावों में वीवीपैट पंचियों और ईवीएम परिणामों के मिलान में भी बड़े स्तर पर कोई गंभीर विसंगति सामने नहीं आई है। इन तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग लगातार यह दावा करता रहा है कि ईवीएम सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। दूसरी ओर आलोचकों का तर्क है कि केवल तकनीकी सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती। मशीनों के भंडारण,

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज
लेखक स्तंभकार हैं।

तो से तो हर किसी क्षेत्र में यह बात काफी मायने रखतीं हैं कि कौन किसके संपर्क में हैं? क्योंकि ऐसा कहा और माना जाता है कि आदमी जब किसी के साथ संपर्क करता है तो उसका रंग उस पर चढ़े बिना नहीं रहता। अब यदि जिंदगी में कोई चुनसुरा अवसर मिल जाते का योग बन जाएं, तो कोई-कोई बिरले ही ऐसे होते हैं जो अपनी निष्ठा और समर्पण भाव को विशुद्ध रूप से अधुणर रख पाते हैं। अन्यथा सुना है कि आजकल हर ईमान की कीमत हूआ करती है लेकिन रंग ईमान किसी कीमत पर नहीं बिकता, बहुत संभव है कि उसकी पर्याप्त कीमत नहीं लग पाई हो। जिसके चलते ईमान का ईमान बना हुआ है। हालांकि मैं समझता हूँ कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन फिर भी जमाने के दस्तूर को देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद मैंने गलत नहीं सुना होगा। लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत कुछ संभावना इस बात की होती है कि आदमी की जिंदगी में कभी-कभी कमजोर पल भी आ जाते हैं। जिसके चलते आदमी अपने निष्ठा और समर्पण भाव को ताक पर रख दिया करता है। वैसे भी सियासत में रहकर जमाने भर की उपलब्धता और भागदौड़ करते हुए अंतर्मन के कोने-कोने में यह भाव विद्यमान होता ही है कि ऐसे-वैसे या चाहे जैसे-तैसे बस एक बार सत्ता की चाबी हाथ लग जाएं।

हालांकि इस भाव को कोई जाहिर नहीं करता लेकिन सियासत में आदमी का हाव-भाव और व्यवहार चींख-चींख कर इसी तथ्य की गवाही देता है कि वादे चाहे जो किए जाएं, नारे चाहे जो लगाए जाएं, लेकिन आजकल के दौर में राजनीती की निवेश करने का और तगड़ा लाभ प्राप्त करने का एक आसान सा जरिया हो गई है। बस जरूरत इस बात की हुआ करती है कि आप सामने आए अवसर को पहचाने। वैसे भी जिंदगी में सुनहरे अवसर बार-बार नहीं मिला करते। दरअसल जन्म-जन्मांतर के शुभ कर्म उदय में आने पर ही ऐसी कोई संभावना बनती है कि हमारे अपने मत की कीमत हमारी मुंह मांगी मुराद को

चेहरे पर अचानक राष्ट्रीय संकट उमड़ आता। वह कभी घड़ी देखता, कभी मोबाइल टटोलता, अपनी इतनी व्यस्तता दिखाता जैसे देश की अर्थव्यवस्था उसी के भरोसे चल रही हो। फिर बनावटी, शिट मुस्कान से कह देता- ‘वाह! बहुत बढ़िया, कल आना, आराम से सुनुंगा।’ लोगों ने उन्हें सुनने के बजाय टालन शुरू किया पर जिज्जी ने इसे प्रोत्साहन समझकर, कवि-सम्मेलनों की ओर रुख किया। बस यहीं से उनका असली साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ। लेकिन इस सफ़र में जिज्जी के सामने बड़े समस्या थी कि मंचों के लायक ‘ठोस’ कविता लिखी कैसे जाए? उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर तुरंत सोचना बंद कर दिया क्योंकि सोचने में मेहनत लगती है। फिर समस्या का सरल समाधान निकाला कि- खुद क्यॉ लिखें? कब दुनिया में पहले से इतनी कविताएँ मौजूद हैं, तो नई लिखकर साहित्य पर अतिरिक्त बोझ क्यॉ डाला जाए? फिर साहित्य में तो वैसे भी ईमानदारी दुर्लभ है। इसीलिए उन्होंने ‘सृजनात्मक उधारवाद’ को अपनाया। कवि सम्मेलनों पर अध्ययन के बाद उन्हें यह पता चल चुका था कि अधे से ज्यादा कवि-कवयित्रियाँ इसी बिरादरी के हैं। यह एक ऐसा विस्तृत परिवार है, जहाँ लोग, एक-दूसरे की रचनाओं से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें अपना बना लेते हैं। फ़र्क़ बस इतना है कि आम भाषा में जिसे ‘चोरी’ कहते हैं, परिवार के लोग इसे ‘प्रेरण’ कहते हैं। मगर जिज्जी ने इसे ‘साहित्यिक रिसाइक्लिंग’ का नाम दिया।

हैं। ऐसे वातावरण में तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। इसलिए प्रशासन और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बड़ जाती है कि वे त्वरित, सटीक और विश्वसनीय जानकारी जनता के सामने रखें। इस पूरे विवाद का एक व्यापक राजनीतिक आयाम भी है। लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य सरकार और संस्थाओं से प्रश्न पछुना है। यदि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखें। निरागर आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं, जबकि प्रमाण आधारित आरोचना उन्हें अधिक उत्तरदायी और मजबूत बनाता है।

चुनावी संसाधनों के भंडारण और सुरक्षा के लिए और अधिक कठोर मानक विकसित किए जाने चाहिए। स्ट्रॉग रूम की निगरानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग, स्वतंत्र ऑडिट, सार्वजनिक रिपोर्टिंग और राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए। वीवीपैट मिलान की प्रक्रिया को और अधिक व्यापक तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है। साथ ही चुनाव आयोग को जनसंचार के माध्यमों का बेहतर उपयोग करते हुए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े भ्रमों और संदेहों का समय-समय पर समाधान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ईवीएम जलने की घटना केवल एक प्रशासनिक दुर्घटना नहीं है, यह लोकतंत्र के उस मूल प्रश्न को सामने लाती है कि नागरिकों का विश्वास कैसे सुरक्षित रखा जाए। लोकतंत्र केवल मतपेटियों या मशीनों से नहीं चलता, बल्कि उस भरोसे से चलता है जो नागरिक चुनावी प्रक्रिया पर करते हैं। ईवीएम की सुरक्षा, चुनाव आयोग की पारदर्शिता, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और मीडिया की संवेदनशीलता, ये सभी मिलकर उस विश्वास की रक्षा करते हैं। यदि संदेह की लपटें लगातार फैलती रहीं और उनका समय पर समाधान नहीं हुआ, तो वे केवल मशीनों को नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता को भी झुलसा सकती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हर प्रश्न का उत्तर तथ्यों से दिया जाए, हर आशंका का समाधान पारदर्शिता से किया जाए और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी जनविश्वास को हर परिस्थिति में अधुणर रखा जाए।

युद्ध और अल नीनो के बीच खड़ी दुनिया

कौन किसके संपर्क में है?

पूरा कर सकती हो। यह तथ्य जग जाहिर है कि जब दो खरबूजे आमने-सामने हो तो खरबूजे का खरबूजे को देखकर रंग बदलना बहुत हद तक स्वाभाविक हो जाता है। आजकल संपर्क के लिए संचार माध्यम इतने विकसित हो चुके हैं कि आदमी चाहे तो मजे से निहायत ही एकांत के पलों में भी दीन दुनिया को खबर रखते हुए दुनिया के किसी भी कोने में बैठी शख्सियत से अपना संपर्क स्थापित कर सकती है। दरअसल संपर्क तो निजी पसंद के आधार पर तय होता है लेकिन कभी-कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती है कि किसी एक का दूजे से संपर्क करना उसके अपने व्यापक हित में समय की मांग बन जाता है। एक प्रकार से इसे ‘धंधे के सीजन’ के रूप में भी देखा जा सकता है।

वैसे ऐसे अवसर हर किसी के लिए कोई बार-बार नहीं आते। यही कारण है कि आमतौर पर रम्य लोहे पर चोट कर दी जाती है और सामने वाले की हैसियत और महत्व को अपने खाने में समा कर लिया जाता है। अब यह जो धंधे का सीजन है, इसका लाभ लेने वाले तात्कालिक रूप से तो लाभान्वित होते ही हैं लेकिन उन्हें इसका दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होने की भी प्रवल संभावनाएं हाथ करती है। सियासी जगत में कभी-कभी यह प्रश्न काफी अहम हो जाता है कि कब, कौन, कहाँ और किससे संपर्क स्थापित कर सकता है। ऐसे में अपने कुनबे की साख बचाने और कायम रखने के लिए सियासत की शतशतों बाजी के प्यादों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखना आवश्यक हो जाता है।

ऐसी स्थिति में उनके लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश रहा करती है। आमतौर पर यह वह स्थान होता है जहां संबंधित दल की हकूमत चलती हो। इसके लिए अपनी हकूमत वाले राज्य में सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट से भला और कौन सा अच्छा स्थान हो सकता है। वैसे अपने खमे के समूह को ठहरने के तो होटल में भी ठहराया खेता है लेकिन ऐसा करने पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि निहायत ही एकांत के पलों मे कब, कोई किससे संपर्क कर लेवे। बड़ी अजीब बात है कि सियासत में कभी-कभी ऐसा अवसर भी आता है जब अपने ही बंदों को एक प्रकार से बंधक बनाया जा सकता हो।

वर्तमान में तो पर्यावरण की रक्षा के लिए रिसाइक्लिंग बहुत आवश्यक है फिर चाहे कचरा हो या कविता। साहित्यिक रिसाइक्लिंग की कला सीखने में बारीकियों पर उन्होंने खास ध्यान दिया जैसे- किस रस की, कौन सी कविता, कहाँ से उतनी है, कितने शब्द बदलने हैं, कहाँ अल्पविराम लगाना है और कहाँ भावनात्मक विराम देना है इत्यादि। धीरे-धीरे उन्होने मंचों पर धावा बोलना शुरू किया और चिल्ला-चिल्लाकर ओज की कविताएँ बोलनी शुरू कर दीं। समय के साथ उन्होने मंचीय रणनीति भी सीख ली। जिज्जी मंच पर पहुँचते ही आयोजक की खूब प्रशंसा करतीं ताकि अपनी बार का बुलावा पक्का हो जाए। फिर, मंच पर विराजमान अध्यक्ष को गुरु बताकर, आपन कविता को उसके गले की हड्डी बना देतीं। अब, अध्यक्ष के पास उनकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। जब अध्यक्ष तारीफ़ों का फ्लाईओवर बना दे, तो आलोचक और समीक्षक कैसे ही चुप हो जाते हैं जैसे मीटिंग में बॉस के बोलने के बाद, कर्मचारी। तो अब तक आप समझ ही पाए होंगे कि बतौर कवयित्री जिज्जी पारंगत हो चुकी हैं। और अब उन्होने साहित्य की दूसरी विधाओं में भी दखल देना शुरू कर दिया है ताकि कोई भी मंच अछूता न रहे। साथ ही बड़े-बड़े पुरस्कार देने वाले संस्थानों में चुसपैट भी शुरू कर दी है। वह दिन दूर नहीं जब जिज्जी की कविताएँ पाठ्यक्रम में लगाई जाएँगी, उन पर शोध होंगे, स्कूलों में उनकी जीवनी पढ़ाई जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी ‘साहित्यिक रिसाइक्लिंग’ की परंपरा को आगे बढ़ा सकें। और सदियों तक जिज्जी ‘महान साहित्यकार’ के रूप में जानी जाएँगी।

मुद्दा

डॉ. अंशुल उपाध्याय

यूजीसी की सीनियर रिसर्च फैलो



भारत में घरेलू महिलाओं को भी आर्थिक सबलता का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। वे महिलाएं जो नौकरी पेशा नहीं है और घर पर रहकर ही अपने बच्चो और परिवार के पोषण के लिये अपना सारा समय लगा देती है। उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके पति के द्वारा कुछ धनराशि प्रति माह प्राप्त होनी ही चाहिए। इससे न केवल महिलाओं को सबलता मिलेगी बल्कि घरेलू हिंसा के मामलों में भी कमी आएगी। भारत में लगभग घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा, 2005 घरेलू हिंसा को पारिभाषित किया गया है प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जाएगा। क्षति पहुँचाना या जखमी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है; या देहेज् या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुकसान पहुँचाना या जोखिम में डालना; या पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित

घरेलू महिलाओं को भी आर्थिक सबलता की आवश्यकता

सर्वेक्षण में पाया गया है कि 32 प्रतिशत विवाहित महिलाओं (18-49 वर्ष) ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। वैवाहिक हिंसा का सबसे आम प्रकार शारीरिक हिंसा (28 प्रतिशत) है, जिसके बाद महिलाओं के साथ भावनात्मक हिंसा और यौन हिंसा हुई है। महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में अपराधी पति होता है। जिन पतियों ने स्कूली शिक्षा के 12 या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनमें शारीरिक, यौन, या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा करने की संभावना आधी (21 प्रतिशत) होती है। जबकि स्कूली शिक्षा न पूरी करने वाले 43 प्रतिशत लोग हिंसा में संलिप्त होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को अपने पति से घरेलू हिंसा का खतरा कम पढ़ी-लिखी की तुलना में 1.54 गुना ज्यादा होता है।

किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना; या पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुँचाना। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 32 प्रतिशत विवाहित महिलाओं (18-49 वर्ष) ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। वैवाहिक हिंसा का सबसे आम प्रकार शारीरिक हिंसा (28 प्रतिशत) है, जिसके बाद महिलाओं के साथ भावनात्मक हिंसा और यौन हिंसा हुई है। महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में अपराधी पति होता है। जिन पतियों ने स्कूली शिक्षा के 12 या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनमें शारीरिक, यौन, या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा करने की संभावना आधी (21 प्रतिशत) होती है। जबकि स्कूली शिक्षा न पूरी करने वाले 43 प्रतिशत लोग हिंसा में संलिप्त होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को अपने पति से घरेलू हिंसा का खतरा कम पढ़ी-लिखी की तुलना में 1.54 गुना ज्यादा होता है। एक गैर सरकारी संस्था के मुताबिक, भारत में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं। एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में

विवाहित कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 31प्रतिशत (एनएफएचएस - 4), से 32 प्रतिशत के बीच हैं। 2019-2021 नई एनएफएचएस - 5 रिपोर्ट 12 मई 2022 के अनुसार भारत में 92 प्रतिशत महिलाये बिना मेहनताना लिये घरेलू काम करती हैं जबकि सिर्फ 27 प्रतिशत पुरुष ही ऐसा करते हैं। भारतीय महिलाओं को जो नौकरी पेशा नहीं है। अपने पति द्वारा प्रति माह कुछ धनराशि अवश्य दी जानी चाहिए, इससे ना केवल घरेलू हिंसा के मामलों में बल्कि महिलाओ के मानसिक तनावो में भी कमी आयेगी। कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी है मगर नौकरी पेशा नहीं है उन्हें हर वक्त ये बात कचोड़ती तो अवश्य होगी को काश वो भी औरो को तरह अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही सही कुछ रुपए कमा सकती। चूँकि शिक्षा का व्यक्ति के मानसिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मानसिक विकास हो जाने के बाद व्यक्ति अपना अच्छा बुरा स्वयम समझ पाता है। ऐसे मे किसी मानसिक रूप से

विकसित महिला का घर पर रहना कई बार उसकी मजबूरी होती हैं। कई बार बच्चों के पालन हेतु तो कई बार ससुराल वालों की सहमति से। और मन में चल रहे द्वंद का सामना जब महिलाएं नहीं कर पाती तो डिप्रेशन, हाई बीपी,मधुमेह जैसे रोगों का शिकार हो जाती हैं। इसलिए अगर महिलाओं को सबल बनाना है तो जरूरी नहीं परिवार के दायित्व के साथ उन्हे नौकरी पेशा होने को मजबूर किया जाये। इस समस्या का समाधान है,घरेलू महिलाओ को प्रति माह उनके पति द्वारा कुछ धनराशि प्रदान किया जाना। भारत में महिला

अधिकांश जगहों पर महिलाएं ग्रहणी है और अपना घर संभालती हैं। पर यह हमारी विडंबना है कि हमने अपने घर की महिलाओं को वित्त का अधिकार नहीं दिया ना ही वित्त संबंधी मामलों में हम घर की महिलाओं की सलाह लेते हैं। जबकि हमारे वित्तमंत्री जी की स्वयं एक महिला हैं जो भारत का बजट बनती हैं। और दूसरी तरफ एक वह महिला है जो अपना घर चला रही हैं तो क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं होगी कि वह घर के बजट को सही तरीके से चला सके अतः हम बेटीयों को तो आगे से पढ़ाते हैं सब उन्हे संक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं पर फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं की हमारी बेटी ही तो कल किसी और के घर की बहु बनेंगी। अतः अपनी बेटी को हमेशा धन देते रहना और बहू को उससे वंचित रखना क्या ये सही है? इसलिए भारत में यह प्रावधान अवश्य ही होना चाहिए की विवाह के पश्चात यदि कोई महिला नौकरी पेशा नहीं है तो उसे उसक उसके पति के द्वारा मासिक तौर पर कुछ धनराशि अवश्य प्रदान की जाए। इससे न केवल घरेलू महिलाएं अपनी जरूरत की चीजें खुद ले पाएंगी साथ ही घर की छोटी-छोटी चीजों के लिये उन्हे किसी और पर निर्भर नहीं होना होगा। जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ पारिवारिक शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

ऐतिहासिक फैसला

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मग्न जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।



हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि घर संभालने वाली महिलाएं सिर्फ होममेकर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। वाहन दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिला की मृत्यु घरेलु देखभाल का नुकसान है। मुआवजे की गणना के लिए महिला के घरेलु श्रम का मूल्य कम से कम 30 हजार रूपए प्रतिमाह माना जाए। यह राशि हर तीसरे साल 10 प्रतिशत बढ़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस श्री संजय करोल और कोटिश्चर सिंह की पीठ ने 25 साल पहले एक हादसे में अपनी पत्नी को खो चुके व्यक्ति के लिए 62 लाख 77 हजार रूपए का मुआवजा मंजूर किया। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला अन्य मामलों में भी उदाहरण बनेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में वाहन दुर्घटना पर महिला की मौत पर मुआवजे से जुड़े सभी मामलों में घरेलु देखभाल के नुकसान का अलग मद जुड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि अब तक गृहिणियों की मौत पर मुआवजा तय करते समय उनकी आय न्यूनतम ममदूरी के आधार पर मानी जाती थी। उन्हें कुशल या अकुशल मजदूर की श्रेणी में रखा जाता था। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये महिला के योगदान का गंभीर अवमूल्यन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गृहिणी परिवार के कमाऊ सदस्य पर निर्भर मानी जाती है, जबकि असल

गृहिणियाँ हैं राष्ट्र निर्माता

सर्वोच्च न्यायालय का उक्त फैसला हरियाणा में 2001 में एक हादसे में महिला की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। महिला के पति और तीन बच्चों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से मुआवजा मांगा था। अधिकरण ने 2003 में 2 लाख 42 हजार रूपए का मुआवजा मंजूर किया था। इस फैसले से नाखुश परिवार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2024 में जारी फैसले में मुआवजा बढ़ाकर 8 लाख 43 हजार कर दिया। साथ ही 7.5 प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दिया था। इस फैसले से भी असंतुष्ट दावेदार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था।

में घर की व्यवस्था काफी हद तक उस महिला पर ही निर्भर होती है। कोर्ट ने लैंगिक भूमिकाओं पर यह भी कहा कि शादी का मतलब नौकरानी रखना नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय का उक्त फैसला हरियाणा में 2001 में एक हादसे में महिला की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। महिला के पति और तीन बच्चों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से मुआवजा मांगा था। अधिकरण ने 2003 में 2 लाख 42 हजार रूपए का मुआवजा मंजूर किया था। इस फैसले से नाखुश परिवार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2024 में जारी फैसले में मुआवजा बढ़ाकर 8 लाख 43 हजार कर दिया। साथ ही 7.5 प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दिया था। इस फैसले से भी असंतुष्ट दावेदार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े सभी प्रकरण एक साल में निपटाएं जाने चाहिए और हाईकोर्ट

के मुख्य न्यायाधीशों को इसकी निगरानी करनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 4 साल से अधिक समय से लंबित मामले पहले निपटाए जाने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का उक्त आदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है। इसका सही मायने में क्रियान्वयन देशभर में चल रहे मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े सभी प्रकरणों में किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार गृहिणी को मात्र होममेकर नहीं मानते हुए राष्ट्र निर्माता बताया है। यह फैसला भविष्य में सभी पर लागू होगा। यह भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब देश के सभी उच्च न्यायालयों को और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को अपने फैसले लेते समय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त ऐतिहासिक फैसले को नज़ीर मानते हुए अपने फैसले देना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्थक सिद्ध होगा।

श्रद्धा की चोरी-करुणता कहां लुप्त हो गई?

विवार

बंसीताल परमार

लेखक शिक्षक हैं।



मेरे संदर्भ में एक खबर है। इस खबर का शीर्षक है, दीयों से तेल इकट्ठा कर रही बच्ची की वायरल तस्वीर के पीछे का सच ये है मुफलिसी की कहानी। यह तस्वीर 31 अक्टूबर 2019 की। दूसरी अखबार कतरन वर्तमान जून 2026 की है। इसका शीर्षक है, श्रीराम मंदिर चढ़ावे की चोरी से महंगी जमीन खरीदने वाले दो दबोचे गए। यह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों से चढ़ावे की धनराशि की चोरी का मामले से जुड़ी खबर है। दोनों खबरों के बीच सात वर्ष का फासला है। 2019 की तस्वीर जिसमें अयोध्या में दीये जलाने के कीर्तिमान के दूसरे दिन की है, जहां एक गरीब लड़की दीयो के बचे तेल को बोतल में इकट्ठा कर रही थी। कार्बोहाइड्रेट से देह चलाने वालों की इच्छा कभी-कभी वसा पाने की भी हो जाती है किंतु उनकी आय इतनी नहीं होती कि वे शरीर के लिए जरूरी फैस

यानी वसा भी जुटा पाए। ऐसे में जब सामने तेल का सैलाब हो तो बच्ची जरूरत का तेल इकट्ठा करेगी ही। दीयों की ज्योति में प्रयुक्त हुआ तेल हमारी आध्यात्मिकता को प्रकाशित कर रहा है। क्या लोगों को वंचित रख कर नदी के घाट को यूं रोशन करना क्या गर्व करने योग्य है? यह श्रद्धा की चोरी का मामला है जहां भोजन में चिकनाई के लालच से श्रद्धापूर्वक जलाए गए दीपकों का तेल ले जाया जा रहा है। इस घटना के बाद के वर्षों में दीपदान वाली जगह पर पुलिस लगा दी गई ताकि इस तरह संध लगाकर तेल न चुराया जा सके। दूसरा चित्र हमारे मंदिरों में दान रूप में परिणित होकर दानपेटी तक पहुंचने वाली श्रद्धा निधि का व्यक्तिगत उपयोग के लिए में मिले दान की राशि का उपयोग कर खुद का महल खड़ा कर लें तो इसे चोरी माना जाए या नहीं? मैं स्वयं अपने कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहा क्योंकि इन बिंदुओं पर विचार करना अधर्मी या देशद्रोही कहलाने का आमंत्रण होता है। यह बहाव के विरुद्ध भी जाता है। मैंने रामचरित मानस, कवितावली, दोहावली, विनय-पत्रिका पढ़ी है। वे उनके छंद आज भी मुंह जबानी

याद है। ऐसे कौन उदार जग माहीं बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोऊ नाहीं।। अर्थात् इस संसार में प्रभु श्री राम के समान उदार (कृपालु) और कोई दूसरा नहीं है, जो बिना किसी सेवा या प्रयास के ही दीन-दुखियों (गरीबों और असहायों) पर दया कर दे। जाके प्रिय न राम विदेही तजिये ताही कोटी बैरी सम जदपि परम सनेही। तुलसीदास जी यहां कहते हैं,जिन लोगों को भगवान राम और सीता (वैदेही) प्रिय नहीं हैं, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, भले ही वे आपके कितने ही परम स्नेही क्यों न हों। अपने विचारों के कारण आज मैं स्वजनों, परिजनों व मित्रजनों से तजा गया हूं। ठीक, उसी तरह जैसे लंका में विभीषण का बहिष्कृत किया गया था। मैंने उत्तर रामचरित पढ़ा है। उसमें लिखा है, एको रस करुण एव। यानी सभी रसों या भावों का स्रोत करुण रस है। इन खबरों को देखते हुए मैं आज उस करुणा को खोल रहा हूं जो कभी सनातन धर्म का मूल आधार रहा है। अगर आपको यह करुण रस कहीं मिल जाए तो बताइगा।

शिक्षा प्रणाली

दुर्गेश्वर राय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संयोजक हैं।



जब देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब शिक्षा की कसौटी केवल अक्षरों की सामान्य पहचान या कक्षाओं में भौतिक उपस्थिति तक सीमित नहीं रह सकती। आधुनिक युग में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानवीय क्षमताओं का सर्वांगीण संवर्धन करना है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई व्यापक नीति रिपोर्ट, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा, इसी प्रगतिशील दृष्टिकोण को एक व्यवस्थित और व्यावहारिक धरातल प्रदान करती है। यह दस्तावेज़ वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक के एक दशक लंबे आंकड़ों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए भारतीय स्कूली शिक्षा के क्रमिक विकास, वर्तमान संरचनात्मक चुनौतियों और भविष्य के नीतिगत रोडनेप को पूरी तरह स्पष्ट करता है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने एक न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वर्ष 1952 के मुदालियर आयोग और 1964 के कोउरी आयोग की अनुशंसाओं ने आधुनिक शिक्षा के बुनियादी ढाँचे की मजबूत नींव रखी थी। इसके बाद 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने देश भर में शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर विशेष बल दिया। वर्ष 1995 में शुरू की गई मिड-डे मील योजना ने स्कूलों में बच्चों के नामांकन और उनके पोषण स्तर

को सुधारने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे गुणांतकारी कदमों से और अधिक सुदृढ़ किया गया। इसी ऐतिहासिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पुरानी व्यवस्था के स्थान पर एक नए शैक्षणिक ढाँचे को प्रतिपादित किया। नीति आयोग ने पिछले एक दशक की इसी यात्रा का मूल्यांकन करने के लिए यूडायस प्लस 2024-25 के स्कूल से सम्बंधित आंकड़े, परख 2024 के परीक्षा स्तर, एनएसएस के 2017 और 2021 के बच्चों के स्कोर और एसईआर 2024 के बच्चों के पढ़ने की क्षमता आधारित आंकड़ों का उपयोग किया है। भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली आज लगभग चौदह लाख से अधिक स्कूलों, चौबीस करोड़ से अधिक विद्यार्थियों और एक करोड़ से अधिक शिक्षकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है। पिछले एक दशक में स्कूलों में बुनियादी ढाँचे जैसे बिजली, शौचालय और पेयजल की पहुँच के मामले में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है। इसी अवधि में डिजिटल शिक्षण व्यवस्था का भी

विस्तार हुआ है और कंप्यूटर, इंटरनेट तथा स्मार्ट कक्षाओं तक बच्चों की पहुँच बेहतर हुई है। इसके साथ ही, सामाजिक समावेशन के स्तर पर लड़कियों तथा वंचित वर्गों के छात्रों के नामांकन में उत्साहजनक सुधार दर्ज किया गया है। महामारी के बाद के दौर में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में सुधार के संकेत भी मिले हैं, जिसे विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों का लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है। इन तमाम सकारात्मक बदलावों के बावजूद, इस तंत्र का सबसे बड़ा ढाँचागत संकेत इसका पिरामिडनुमा स्वरूप है, जो उच्च स्तर पर जाते ही संकुचित हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है और वहाँ नामांकन दर भी काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जैसे-जैसे छात्र उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं, सकल नामांकन अनुपात तेजी से कम होता जाता है। यह डेटा साफ तौर पर दर्शाता है कि उच्च कक्षाओं तक पहुँचते-पहुँचते बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। देश में बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो प्राथमिक से

लेकर बारहवीं कक्षा तक की निरंतर शिक्षा एक ही छत के नीचे प्रदान करते हैं। यह संस्थागत विखंडन छात्रों को बार-बार स्कूल बदलने के लिए मजबूर करता है, जिससे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, देश में बड़ी संख्या में एकल-शिक्षक स्कूल और शून्य नामांकन वाले स्कूल भी मौजूद हैं, जो प्रशासनिक और वित्तीय अक्षमता को उजागर करते हैं। नीति आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद शिक्षा प्रणाली की कई प्रमुख प्रणालीगत और शैक्षणिक चुनौतियों की पहचान की है। कक्षाओं में आज भी वास्तविक वैचारिक समझ विकसित करने के बजाय केवल पाठ्यक्रम पूरा करने और रटने की पद्धति पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जिससे बच्चों के वास्तविक सीखने के स्तर में अंतर आ जाता है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी और उनकी असमान तैनाती एक अन्य बड़ी बाधा है। इसके अलावा, गैर-शैक्षणिक कार्यों के अत्यधिक बोझ के कारण शिक्षकों का वास्तविक शिक्षण समय भी काफी प्रभावित होता है।

सरकारी स्कूलों के प्रति समाज की बदलती धारणा के कारण निजी स्कूलों पर निर्भरता बढ़ी है, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। साथ ही, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने की गति अब भी धीमी बनी हुई है। इन गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट में एक विस्तृत नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें कई प्रणालीगत और शैक्षणिक अनुशंसाओं को शामिल किया गया है। विद्यालय संरचना को सुधारने के लिए कम नामांकन वाले स्कूलों का साक्ष्य-आधारित युक्तिकरण करने और संसाधनों को साझा करने के लिए स्कूल परिसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। शासन सुधारों के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर खाली पड़े प्रशासनिक पदों को भरकर निरीक्षण व्यवस्था को अकादमिक परामर्श में बदला जाना चाहिए। शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष टास्क फोर्स के माध्यम से एक समग्र समाज दृष्टिकोण विकसित करने की बात कही गई है,

जिसमें स्थानीय स्कूल प्रबंधन समितियों को भी मजबूत किया जाएगा। शैक्षणिक स्तर पर अमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए क्षमता-आधारित मूल्यांकन को संस्थागत रूप देना आवश्यक है ताकि रटकर परीक्षा पास करने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। प्रारंभिक शिक्षा को औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, व्यक्तिगत शिक्षण और डेटा-संचालित प्रशासनिक निगरानी के लिए आधुनिक युग के डिजिटल प्लेटफॉर्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई-आधारित उपकरणों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत ने शिक्षा तक पहुँच और भौतिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण का पहला चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब हमारे सुधारों का दूसरा चरण पूरी तरह से सीखने की गुणवत्ता और ढाँचागत निरंतरता पर केंद्रित होना चाहिए। इसलिए यह रूपांतरण केवल एक सरकारी नीति न होकर एक साझा राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए।

पिपरिया-नर्मदापुरम राज्य मार्ग पर मढ़ई एवं अविनाश ढाबा के अतिक्रमण को पुलिस एवं राजस्व टीम ने हटाया



सोहागपुर । पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग 22 पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई की तरफ जाने के रास्ते से पहले ग्राम पंचायत बंमोरीखुर्द मुख्य सड़क पर स्थित मढ़ई ढाबा एवं अविनाश ढाबा के मालिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के अतिक्रमण को हटाया । इस दौरान नवनियुक्त नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के साथ अतिक्रमण स्थल पर मौजूद थे। वहीं राजस्व टीम में नायब तहसीलदार रणजीत सिंह चौहान, पटवारी श्रीमति हिना खान, शैलेन्द्र ओनकर, स्वप्निल सोलंकी, राहुल पटेल,ग्राम कोटवार बम्होरीखुर्द, बारंगी, चीचली, बासखापा के अलावा जेसीबी मशीन भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम में शामिल थे। इसी अवसर पर तहसीलदार आर एस झरबड़े भी वहां पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि शहर एवं आसपास ऐसे स्थान चिन्हित किये जा रहे हैं। जहां शासकीय भूमि अथवा अन्य तरह के अतिक्रमण है। उन पर भी विधिनुसार कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है।

पुलिस अधीक्षक की अनूठी पहल

सोहागपुर। पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्ण थोटा की अनूठी पहल से पुलिसकर्मियों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई है। उक्त अनूठी श्री साई



कृष्ण एस थोटा ने अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के जन्म दिवस पर मंगलमय शुभकामनाओं का संदेश प्रेषित कर रहे हैं। ऐसा ही वाकिया आज सोहागपुर में घटित हुआ जिसमें एएसआई गणेश राय का जन्मदिवस था। आपने उनको बधाई एवं शुभकामनाओं का संदेश पत्र भेजा। उक्त संदेश पत्र नवनियुक्त नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी ने एएसआई गणेश राय को प्रदान किया। इससे पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों में प्रसन्नता है। वहीं यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह संदेश पुलिसकर्मियों के लिए आत्मबल बढ़ाने का संबल है।

युवा कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का फूँका पुतला मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होनेपर किया प्रदर्शन



बैतूल। कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में सोमवार को जिला युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष संजय सरदार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लखी चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर आग बुझाने और प्रदर्शन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपने विरोध पर डटे रहे। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष संजय सरदार यादव ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन जैसी वरिष्ठ और ईमानदार नेत्री का राज्यसभा नामांकन कथित रूप से तकनीकी आधारों पर निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक निष्पक्षता खो चुका है और भाजपा सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। उनका कहना था कि विपक्ष की आवाज को दबाने और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। युवा कांग्रेस नेताओं संजय सरदार यादव और प्रीतेश गंगारे ने संयुक्त रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग अब स्वतंत्र संस्था की बजाय भाजपा के कठपुतली विभाग की तरह कार्य करता दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष की बढ़ती राजनीतिक ताकत से घबरानकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। युवा कांग्रेस संगठन प्रभारी लवलेश बब्बा राठौर और प्रदेश महासचिव जितेंद्र सिंह इवने ने भी निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई तो युवा कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज करेगी। नेताओं ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवा कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी और अन्याय के खिलाफ पीछे नहीं हटेगी। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस संगठन प्रभारी लवलेश बब्बा राठौर, हर्षवर्धन धोटे, मनोज आहूजा, राजू चौबे, अनुप जायसवाल, प्रदेश महासचिव जितेंद्र सिंह इवने, सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून को

बैतूल । राष्ट्रीय पल्स –पोलियो अभियान 28 जून को आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार ने बताया कि आयोजन के प्रथम दिवस पोलियो बुथ पर तथा दूसरे एवं तीसरे दिवस पल्स पोलियो दल घर-घर जाकर छूटे हुये बच्चों को पोलियो की खुशबू पिलाएंगे। सीएमएचओ डॉ हुसमाई ने बताया कि विगत 15 वर्षों से भारत वर्ष पोलियो मुक्त है, लेकिन विश्व के कुछ भागों में और हमारे पड़ोसी देशों में अभी भी वाईल्ड पोलियो वायरस का संक्रमण जारी है जिससे आयातित मामले का खतरा बना रहता है।

जनपद

वाहन चालक नहीं करते यातायात नियमों का पालन, इसलिए बढ़ रहे सड़क हादसे

● 5 माहमें 467 सड़क हादसे, 194 की मौत

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिले में वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। हेलमेट की अनदेखी, नियमों को ताक पर रखना और तेज गति से वाहन चलाने के कारण सड़क हादसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अभी 5 माह यानि जनवरी से मई तक 467 सड़क हादसे हो चुके है। जिसमें 194 लोगों की जान चली गई, वहीं 502 घायल हुए है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण युवा बाइक सवारों के हेलमेट का उपयोग नहीं करने और लापरवाह तरीके से तेज रफ्तार बाइक दौड़ाने की आदतें, सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही हैं। सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस और ट्रॉफिक पुलिस सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक भी करती है, मगर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। कुछ वर्षों की बात की जाए को सबसे अधिक दुर्घटनाएं बाइक सवारों के कारण हुई, जो तेज रफ्तार और हेलमेट न पहनने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए या अपनी जान गंवा बैठे। यातायात पुलिस का साफ कहना है, कि हेलमेट सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, खासकर बाइक सवारों के लिए। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक जानलेवा चोट सिर पर ही आती है। सिर पर गंभीर चोट लगने से दुर्घटना में मृत्यु का खतरा 60 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हेलमेट पहनने को अनिवार्य किया गया है, लेकिन शहर में हेलमेट पहनने की आदत बहुत कम है, जिससे हर वर्ष कई जानें चली जाती हैं। हेलमेट न पहनने के



कारण हर वर्ष मृत्युदर और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि हेलमेट का सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह सिर की सुरक्षा करता है और दुर्घटना के दौरान होने वाली चोटों को काफी हद तक कम करता है।

जिले में सड़क हादसों की तीन बड़ी वजह – जिले में सड़क हादसों के पीछे तीन वजहों को मुख्य कारण माना जा रहा है। जिन्हें सुधारने की जरूरत है। पहली वजह यह कि बैतूल-खंडवा मार्ग का महुपानी मोड़, बरेठा घाट और तासी घाट जैसे झुलके ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं। यहां इलाक बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स नहीं हैं। दूसरी वजह ट्रेक्टर-ट्रॉलियों, पिकअप, ट्रकों जैसे मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना भी हादसों का कारण बन रहा है। वहीं तीसरी वजह जिले में ओवरलोडिंग और वाहन चलाते समय लापरवाही बरतना खास वजह है। लोग वाहनों की गति निर्धारित से अधिक रखते हैं। जिससे वजह स्वयं हादसों का शिकार होते है, साथ ही दूसरों को भी गंभीर रूप से चोटिल करते है। कई बार हादसों में लोगों की जान तक चली जाती है।

हेलमेट जरूरी, फिर भी इसे करते है नजरअंदाज- बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन गंभीर है। आये दिन अभियान चलाकर ट्रॉफिक पुलिस हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाही करती है, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा। बैतूल जिले की सड़कों पर चालक बिना हेलमेट पहने धड़धड़े से दो पहिया वाहन दौड़ाते हैं। पुलिस से बचने के लिए कई वाहन चालक हेलमेट साथ लेकर जरूर चलते हैं, लेकिन सिर पर नहीं पहनते। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर दुपहिया वाहन चालकों के लिए जब हेलमेट लगाना अनिवार्य है, फिर क्यों लोग अपनी आदत में सुधार नहीं ला रहे। पुलिस जब चेकिंग अभियान चलाती है तब लोग या तो जुर्माना भरते है या फिर पैरवी के लिए दौड़ लगाते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते।

जागरूकता की कमी या फिर जिंदगी से घ्यार नहीं – यातायात पुलिस के द्वारा वसूले गये जुर्माने की राशि बताती है कि किस तरह से लोग हेलमेट को नजरअंदाज कर रहे हैं और दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाना पसंद नहीं

केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम रिंगढाना में आगजनी प्रभावित परिवारों से भेंट कर हरसंभव सहायता का दिया भरोसा

बैतूल। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री एवं बैतूल सांसद दुर्गादास उड्डे ने 15 जून को भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रिंगढाना का दौरा कर हाल ही में हुई आगजनी की घटना से प्रभावित परिवारों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुन उन्हें ढाढस बंधाया तथा आवश्यक राहत सामग्री प्रदान कर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री श्री उड्डे ने कहा कि ग्राम रिंगढाना में हुई आगजनी की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। किसी भी परिवार के लिए अपना घर, जीवनभर की मेहनत से अर्जित सामग्री और अपनी स्मृतियों को एक ही पल में नष्ट होते देखना अत्यंत पीड़ादायक होता है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कठिन समय में उनके साथ खड़े होकर उन्हें संबल अवश्य प्रदान किया जा सकता है।



सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तत्परता बरतने तथा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना की किसी भी स्थिति में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। श्री उड्डे ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें इस कठिन समय को सहन करने की शक्ति प्रदान करें तथा उनके जीवन में पुनः सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। इस अवसर पर भैंसदेही विधायक महेंद्र

सिंह चौहान, कृष्णा गायकी, जनपद पंचायत अध्यक्ष भैयालाल इरपाचे, पूर्व जनपद अध्यक्ष सुनील भलावी, अनिल उड्डे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सोनू सुनील भलावी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ट्राइडेंट बुधनी कंपनी के लिए रोजगार मेला 18 जून को

बैतूल। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्राइडेंट बुधनी कंपनी द्वारा 18 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य ने बताया कि रोजगार मेले के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की आयु 18 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा अथवा स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई गोविंदपुरा, भोपाल में अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय : डागा

बैतूल। लोकतंत्र, किसानों, पेयजल व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज, महंगाई और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय बैतूल गंज में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। श्री डागा ने कहा कि जिस आधार पर नामांकन निरस्त किया गया, उसने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिस निजी परिवार का हवाला दिया गया, उसमें मीनाक्षी नटराजन अभियुक्त नहीं प्रतिवादी थीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33ए और फॉर्म-26 की भावना के अनुरूप नामांकन निरस्त करने का आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे विवादित आधारों पर नामांकन खारिज किए जाएंगे तो भविष्य में मनमानी और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। श्री डागा ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन जी जैसी साफ-सुथरी छवि, वैचारिक प्रतिबद्धता और जनसेवा के लिए समर्पित



नेता को चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। पत्रकार वार्ता में संगठन महासचिव ब्रजभूषण पांडे, जिला प्रवक्ता लवलेश बब्बा राठौर, विजय पारधी सोशल मीडिया प्रभारी अनुप जैसवाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अधिनियम यादव, जिला सचिव अभय वर्मा उपस्थित थे।

खाद संकट से परेशान किसान- इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले में ई-टोकन सिस्टम पूरी तरह फिल साबित हो रहा है। किसान खाद के लिए परेशान हैं और दूर-दूर से किसी प्रकार खाद खरीदने पहुंच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई किसानों को उनके ब्लॉक से दूर स्थित दुकानों का

आवंटन किया जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त परिवहन खर्च उठाना पड़ रहा है। पहले से महंगी खाद के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। साथ ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मेडिकल कॉलेज की भूमि को लेकर जताई चिंता – पत्रकार वार्ता में पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी उठाया गया। निलय विनोद डागा ने कहा कि कांग्रेस की लंबे समय से मांग रही है कि मेडिकल कॉलेज को सरकारी किया जाए। उन्होंने दावा किया कि मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित भूमि में ऐसे लोगों को भी सरकार द्वारा पट्टे दिए गए हैं, जिन्होंने वहां

अपने मकान बना रखे हैं। कांग्रेस ने मांग की कि जिन लोगों को पट्टे दिए गए हैं या जिनके मकान वहां बने हुए हैं, उनकी भूमि किसी भी कीमत पर अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए।

महंगाई से आम जनता त्रस्त – कांग्रेस ने गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को घेरा। निलय विनोद डागा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी में घरेलू गैस सिलेंडर रुपये हो गया। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर फरवरी के 1740 रुपये से बढ़कर जून में 3113 रुपये तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत फरवरी में 107.48 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल में 115.05 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल की कीमत 92.83 रुपये से बढ़कर 100.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर नाराजगी – कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश और मध्यप्रदेश में नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाएं अंतिम समय में निरस्त या स्थगित की जा रही हैं, जिससे युवाओं में हताशा का माहौल बन रहा है। उन्होंने

भोपाल में आयोजित जेल प्रहरी परीक्षा को उदाहरण देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठाने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। उन्होंने कहा कि हजारों रुपये खर्च कर परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले युवाओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।

भारतीय जहाज पर हमले को बताया चिंताजनक – निलय विनोद डागा ने ओमान के निकट भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हुए हमले को अत्यंत चिंताजनक और दुःखद बताया। उन्होंने कहा कि देश को विश्वगुरु बनाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी के पुराने बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप अब सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस बयान के बाद कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी थी, केंद्र या स्थगित की जा रही हैं, जिससे युवाओं के सवालों की विदेश नीति और उसके दावों पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।



ग्राम तिरमहू में 10 वर्ष पुरानी विद्युत समस्या का हुआ समाधान

बैतूल। वितरण केंद्र आमला ग्रामीण अंतर्गत ग्राम तिरमहू में विद्युत विभाग द्वारा लंबे समय से चली आ रही विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान जनकल्याण शिविर के दौरान किया गया। विभाग द्वारा गांव में विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुचारू बनाने के लिए विभिन्न सुधार कार्य किए गए। ग्राम में 11 केवी लाइन के 10 तथा एलटी लाइन के 73 नए सीमेंट पोल स्थापित किए गए। साथ ही झूलती हुई एलटी लाइनों को कसकर मानक ऊंचाई पर किया गया। खेतों में स्थित दो तिरछे डीटीआर/डीपी को सीधा कर उनके स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया गया, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हुई। किसानों की व्यक्तिगत समस्याओं का भी निराकरण किया गया। श्री रघुनाथ पूरन के खेत में नीचे झूलते तारों को सुरक्षित करने के लिए 5 पोल लगाए गए। श्री मनोज ठाकरे के खेत में 11 केवी लाइन को सुरक्षित ऊंचाई पर करने के लिए 2 नए पोल स्थापित किए गए। वहीं श्री तरुण पंडाग्रे के खेत में तिरछे डीटीआर/डीपी को सीधा किया गया। पंचायत भवन एवं स्कूल मोहल्ले में नीचे झूल रही केबल को ऊंचा करने के लिए 2 मिड-स्पान पोल लगाए गए, जिससे आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। ग्राम में आयोजित शिविर के दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सूर्यधर योजना की जानकारी दी गई तथा सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही बिजली बचत, विद्युत चोरी रोकथाम, विभागीय मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग तथा समय पर बिजली बिल जमा करने के संबंध में भी जागरूक किया गया।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का कलेक्टर-एसपी ने किया निरीक्षण



बैतूल (निप्र)। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के मुख्य आतिथ्य में 18 जून को आयोजित होने वाले 'आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण 'कार्यक्रम की तैयारियों का शनिवार को कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे एवं पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन ने लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ब्रह्मकुमारी संस्थान के प्रतिनिधि , अपर कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपूसे सहित व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त कार्यापालिक मजिस्ट्रेट एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि के आगमन, ग्रीन रूम, मंच व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, डी निर्माण, सेक्टर निर्माण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके अलावा अधिकारियों ने राष्ट्रपति के आगमन एवं आवागमन मार्गों (रूट्स) का भी निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे एवं पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रोटोकॉल के अनुरूप समस्त व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन किया जा सके।

नवांकुर अभियान: केसला के कासदा रैयत में सीड बॉल निर्माण एवं वृक्षारोपण, ग्रामीणों में दिखा उत्साह



नर्मदापुरम (निप्र)। नवांकुर अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकासखंड केसला के ग्राम कासदा रैयत में वृहद सीड बॉल निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्व-सहायता समूह की महिलाओं एवं स्थानीय ग्रामीणों ने बड़े-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नीम, करंज, जामुन और महुआ के बीजों को मिट्टी व जैविक खाद के साथ मिलाकर 130 से अधिक सीड बॉल तैयार किए। इन सीड बॉल का उपयोग वर्षा ऋतु में अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम इटारसी श्री नीलेश शर्मा स्वयं शामिल हुए। उन्होंने सीड बॉल निर्माण और पौधारोपण में श्रमदान कर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में जनपद पंचायत केसला की सीईओ श्रीमती सुमन खातरकर, ग्राम पंचायत चौकीपुरा के सरपंच सहित 32 प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधे रोपे और सीड बॉल बनाए। स्व-सहायता समूह की महिलाओं और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से पूरे आयोजन में विशेष उत्साह देखने को मिला। यह कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायी उदाहरण बना।

■ अनुगूँज राज्य स्तरीय कानूनी साक्षरता शिविर

शिविर में श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों की समस्याओं पर हुई सार्थक चर्चा

विधिक अधिकारों, डिजिटल सुविधाओं और सामाजिक समावेशन पर किया गया जागरूक, प्रतिभागियों की



विदिशा (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शेख सलीम के मार्गदर्शन में शनिवार 13 जून को जिला न्यायालय विदिशा के वी.सी. रूम में श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों के लिए 'अनुगूँज राज्य स्तरीय कानूनी साक्षरता शिविर' का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं तथा शासन द्वारा संचालित सुविधाओं के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री शेख सलीम, विशेष न्यायाधीश श्री जी.सी. शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदाधिकारी तथा अन्य न्यायिक एवं विधिक अधिकारी उपस्थित रहे।

शिविर का ऑनलाइन शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर श्री विवेक रुसिया तथा न्यायाधिपति श्री विशाल मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेशभर के जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को वचुंअल माध्यम से जोड़ा गया। कार्यक्रम के दौरान श्रवण एवं वाक् बाधित प्रतिभागियों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विकसित विशेष मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस एप के माध्यम से दिव्यांगजन घर बैठे कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं, मध्यस्थता सेवाओं का लाभ ले सकते हैं तथा अपनी संकेत भाषा (साइन लैंग्वेज) के माध्यम से भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

यह पहल न्याय तक समान और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिविर में प्रतिभागियों को निःशुल्क विधिक सहायता, संवैधानिक अधिकारों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार है और विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें श्रवण एवं वाक् बाधित प्रतिभागियों ने अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को खुलकर साझा किया। प्रतिभागियों ने बताया कि जिला अस्पतालों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र समय पर और नियमानुसार नहीं बन पाते, जिससे उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं भी प्रमुख रूप से सामने आईं। प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि अधिकांश शासकीय कार्यालयों में संकेत भाषा जानने वाले अनुवादकों की अनुपलब्धता के कारण शिकायतें दर्ज कराने तथा अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। कई प्रतिभागियों ने सामाजिक स्तर पर उपहास और भेदभाव का सामना करने की पीड़ा भी साझा की। वहीं, विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को साइन लैंग्वेज का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में भी बाधाएं सामने आने की बात रखी गई। प्रतिभागियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इन मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक पत्राचार एवं कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने का भरोसा भी दिलाया गया।

कॉलेज की फीस दो किस्तों में जमा कर सकते हैं विद्यार्थी

सीहोर (निप्र)। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य डॉ रोहितेश कुमार शर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का शिक्षण शुल्क दो किस्तों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्र-छात्राओं पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने बताया कि एमपी ऑनलाइन काउंटर्स पर विद्यार्थियों को आनलाइन माध्यम से एक साथ पूर्ण शुल्क जमा करने के लिये कहा जा रहा है, जिससे विद्यार्थी असमंजस में पड़ रहे हैं। विद्यार्थी दो किस्तों में अपनी फीस जमा कर सकते हैं।

श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय की आवाज को मिली एक नई पहचान

अनुगूँज पहल के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

सीहोर (निप्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुगूँज पहल के अंतर्गत श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय के लिए जिला न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल ने जिला स्तरीय शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी संबंधितों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये गये। प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि 'अनुगूँज' श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय की आवाज को एक नई पहचान दिलाने की पहल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्ति की आवाज को एक ऐसा मंच प्रदान किया जायेगा, जिसके माध्यम से उसकी समस्या एवं भावनाएं व्यक्त की जा सकें तथा उसकी समस्याओं का निराकरण भी संभव हो सकें। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संकेतवाणी एप बनाया गया है, जिसमें कोई भी श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्ति संकेत भाषा में वीडियो बनाकर अपनी समस्या बता सकता है, जिसका अनुवाद कर उसकी समस्या को जानने एवं निराकरण का कार्य विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। यह एक नई पहल है, जो श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों के लिए बहुत ही

उपयोगी एवं लाभकारी है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह द्वारा प्रतिभागियों से चर्चा की गई तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक संचालित विधिक सेवा संस्थाओं के बारे में सरल शब्दों में जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्न जाने और निराकरण भी किया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री वैभव मण्डलई, विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, जिला न्यायाधीश श्रीमती स्मृत्यासिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश श्री

एम.के. वर्मा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अनिल पारे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जोशान खान, श्रवण एवं वाक् बाधित प्रतिभागीगण, स्वास्थ्य विभाग एवं डीआईसी की विशेष टीम, एनआईएमएचआर की टीम, सामाजिक न्याय विभाग की टीम, एनजीओ के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, चैनल एवं अन्य अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, खण्डपीठ सदस्य, विभागों के अधिकारी, कर्मचारीगण, पैरालीगल वालेंटियर्स आदि उपस्थित रहे।

सिरोंज जनकल्याण शिविर नागरिकों की उम्मीदों पर खरा, दो दिनों में 429 आवेदनों का त्वरित निराकरण

जनकल्याण शिविरों ने जीता जनता का विश्वास, समस्याओं के त्वरित समाधान से लौट रहे संतुष्ट नागरिक

विदिशा (निप्र)। प्रदेशव्यापी जनकल्याण अभियान के अंतर्गत विदिशा जिले में आयोजित किए जा रहे जनकल्याण शिविर आमजन के लिए राहत और भरोसे का केंद्र बनते जा रहे हैं। शासन की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए जा रहे इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंच रहे हैं।

समस्याओं के मौके पर समाधान और आवश्यक मार्गदर्शन मिलने से आवेदकों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के संयुक्त तत्वावधान में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जहां अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं तथा उनके निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। शिविरों में

राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, शिक्षा, विद्युत, पेयजल सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। कई मामलों में मौके पर ही समाधान

किया जा रहा है, जबकि अन्य मामलों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जनकल्याण शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से समय और संसाधनों की बचत हो रही है। इससे शासन और प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास भी मजबूत हुआ है।

शिविरों में पहुंचने वाले नागरिकों ने शासन और जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है और समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि जनकल्याण शिविर अब केवल समस्याओं के समाधान का माध्यम नहीं, बल्कि

जनता और प्रशासन के बीच विश्वास और सहभागिता का सशक्त मंच बनकर उभर रहे हैं। जिले में निरंतर आयोजित किए जा रहे ये शिविर शासन की जनकल्याणकारी सोच के धरातल पर साकार करने के साथ-साथ सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

जनकल्याण शिविरों के माध्यम से आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सिरोंज विकासखंड मुख्यालय पर आयोजित जनकल्याण शिविर के दूसरे दिन ग्राम भारा निवासी कृषक श्री बसोड़ा पुत्र श्री बारेलाल अहिरवार अपनी कृषि भूमि के सीमांकन संबंधी आवेदन को लेकर जनकल्याण शिविर में पहुंचे थे। कृषक ने बताया कि उनकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 111/5, रकबा 1.679 हेक्टेयर

की सही चतुर्सीमाएं स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें भूमि संबंधी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था तथा निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर दिया था। एसडीएम श्री हरशंकर विश्वकर्मा की नजर अचानक आवेदक पर पड़ी। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए सीधे राजस्व काउंटर पर पहुंचकर आवेदक से आवश्यक के साथ चर्चा की और पूछ, ' काय दादा, काये को आए' इसके बाद उन्होंने आवेदक की पूरी समस्या गंभीरता से सुनी। आवेदक का वृत्तान्त सुनने के पश्चात् एसडीएम श्री विश्वकर्मा ने मौके पर ही तहसीलदार को लिखित निर्देश जारी किए और सीमांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदक को आश्वासन करते हुए कहा कि 'कल आपकी जमीन का सीमांकन कार्य पूरा करा दिया जाएगा।

